न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 81/2022

अपीलांट

1. श्रीमती कमला पुत्री पन्ने सिंह पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत, निवासी सोनाई मांझी, हाल निवासी गुड़ालाई, तहसील पाली जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. इन्द्रादेवी पत्नी शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी सोनाई मांझी तहसील व जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री लक्ष्मी नारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01/09/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 बउनवान इन्द्रादेवी बनाम कमला में पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश 26.05.2022 को पारित किया गया। जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत की गयी। जो आदेश पारित होने के लगभग 03 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टतया म्याद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पत्रावली प्रशासन गांव के संग शिविर के केम्प कोर्ट में प्रस्तुत होने बाबत् कोई सूचना नही देना जाहिर किया। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में उक्त आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को म्याद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा सोनाई मांझी तहसील पाली के खसरा नंबर 82 रकबा 14 बीघा 1100 बिस्वा में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 6 बीघा 1600 बिस्वा में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। खसरा संख्या 81 अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि है। जो 6 बीघा 16 बिस्वा है रेस्पोडेण्ट के खसरा नम्बर 82 जो 14 बीघा 11 बिस्वा है रेस्पोडण्ट के पास अधिक भूमि है अपीलाण्ट के पास कम भूमि है। इस कारण रास्ते का आदेश दिए जाने से पूर्व भूमि के प्रतिफल के रूप में भूमि दिये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट की भूमि से रास्ता दिये जाने से और कम हो गई है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 82 पर आने जाने हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 80 में से उपलब्ध करवाया जा सकता हैं। जो निकटतम हैं परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने जानबूझकर अपीलाण्ट की कृषि भूमि को अनुपयोगी बनाने की नियत से खसरा संख्या 81 में से रास्ते की मांग की हैं यदि खसरा संख्या 81 में से रास्ता दिया जाता है तो अपीलाण्ट के उक्त खातेदारी की कृषि भूमि अनुपयोगी हो जायेगी और रकबा कम होने उस पर काश्त करना असम्भव हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये, अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में प्रशासन गांव के संग शिविर कैम्प कोर्ट में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा सोनाई मांझी तहसील पाली के खसरा नंबर 82 रकबा 14 बीघा 1100 बिस्वा में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 6 बीघा 1600 बिस्वा में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर तहसीलदार पाली से रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 81 की भूमि में से रास्ता दिया जाना सुविधाजनक बताया अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौजा सोनाई मांझी तहसील पाली के खसरा नंबर 82 रकबा 14 बीघा 1100 बिस्वा में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 6 बीघा 1600 बिस्वा में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में मुख्यतः अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही देना, अपीलाण्ट की कृषि भूमि कम होने से भूमि के बदले भूमि देने के विकल्प पर गौर किए बिना, निकटतम रास्ता खसरा संख्या 80 में से होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओ पर विचार किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किए जाने के बिन्दुओ को रेखाकिंत किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए बिन्दुओं के आलौक में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तामिलि रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, कि विचारण पत्रावली को कैम्प कोर्ट गुन्दोज में सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2022 को रखने का नोटिस अपीलाण्ट के पुत्र महिपाल सिंह से तामिलसुदा है, जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 12.05.2022 तामिल करवाया गया है, जो विधि अनुसार सम्यक तामिल मानी जा सकती है। उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अपीलाण्ट विचारण प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु कैम्प कोर्ट गुन्दोज में उपस्थित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जो विधिनुसार सही है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह तथ्य भी रेखांकित किया गया है कि अपीलाण्ट की भूमि का रकबा कम है, अतः अधीनस्थ न्यायालय को भूमि के बदले भूमि देने के विकल्प पर गौर करना चाहिए। इस संबंध में धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों पर गोर करने से स्पष्ट होता है, इस धारा में उल्लेखित प्रावधानो में भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नही है, केवल वादी एवं प्रतिवादी इस हेतु सहमत हो तो न्यायालय इस बिन्दु पर विचार सकते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में रेखाकित किया गया कि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु निकटतम मार्ग खसरा संख्या 80 में से होकर है। इस बिन्दु का परीक्षण करने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार पाली की मौका/जांच रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट होता है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट में खसरा संख्या 81 में से ही निकटतम रास्ता दर्शाया गया है, लेकिन यह तथ्य भी प्रकट आया है, कि तहसीलदार द्वारा धारा 251 'ए' के आज्ञापक सिद्धान्त यथा यह रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं वैकल्पिक मार्ग के अभाव का समुचित परीक्षण किए बिना ही मौका/जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955) के नियम 69 के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्त्यिां आमंत्रित करने का भी प्रावधान है। इस बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दृष्टिगोचर ही नहीं किया एवं उक्त अविधिपूर्ण मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 बउनवान इन्द्रादेवी बनाम कमला में पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली